न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 258/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 90/2026, थाना मनियां, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 13 आर०पी०जीओ० व 112(2) बी०एन०एस०

1- धर्मेन्द्र पुत्र विपतीराम, उम्र 34 साल,
2- सतीश कुमार पुत्र प्रताप सिंह, उम्र 39 साल,
3- भागीरथ पुत्र होरीलाल, उम्र 38 साल,
4- बिजेन्द्र पुत्र मंगल सिंह, उम्र 53 साल,
समस्त निवासीगण ऐदलपुर, पुलिस थाना मनियां, जिला धौलपुर (राज०)

-प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से ।
2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 09/03/2026

1) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में दिनांक 2.3.2026 को पुलिस थाना मनियां के रामनिवास सिंह हैड कानि० द्वारा पुलिस जाप्ता के साथ कार्यवाही करते हुए 9.45 पीएम पर थाने के सामने दुबाटी रोड पर हाट मैदान पहुंचा तो वहां चार व्यक्ति रोड लाईट के उजाले में ताश के पत्तों से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे । उक्त लोगों को घेरा देकर पकडा और नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम धर्मेन्द्र, सतीश, भागीरथ व बिजेन्द्र होना बताया । उक्त लोगों के पास से ताश के पत्तों की गड्डी व 5,940/-रूपये बरामद हुए । मौके पर ही मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मनियां, धौलपुर पर प्राथमिकी

संख्या 90/2026 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 13 आर०पी०जीओ० व 112(2) बी०एन०एस० के आरोप बनना पाये गये हैं । प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्तगण दिनांक 2/3/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं जिनमें से केवल अभियुक्त बिजेन्द्र के विरुद्ध पूर्व में दो प्रकरण संख्या 144/2008 व 48/05 थाना कौलारी में दर्ज होना बताया गया है एवं अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ कोई अन्य प्रकरण पंजीबद्ध अथवा विचाराधीन होना नहीं बताया गया है ।

3) प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उनको झूंठा फंसाया गया है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि उनको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है। उनका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है और उनके द्वारा कोई संगठित अपराध कारित नहीं किया गया है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उनको जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध अवैध रुप से जआ-सट्टा खेलने व संगठित अपराध करने के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं । अतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्तगण दिनांक 2/3/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं जिनके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्तगण 1- धर्मेन्द्र पुत्र विपतीराम, उम्र 34 साल, 2- सतीश कुमार पुत्र प्रताप सिंह, उम्र 39 साल, 3- भागीरथ पुत्र होरीलाल, उम्र 38 साल एवं 4- बिजेन्द्र पुत्र मंगल सिंह, उम्र 53 साल, समस्त निवासीगण ऐदलपुर, पुलिस थाना मनियां, जिला धौलपुर (राज०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2026 थाना मनियां, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं

का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादें तो उनको इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

MANISH SHARMA

PA cum EA "Authenticated Document" Digitally signed by MANISH SHARMA Date: 2026.03.10 12:14:52 +0530